

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क) (उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 26 मार्च, 2010 ई0 चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 144/XXXVI(3)/2010/08(1)/2010 देहरादून, 26 मार्च, 2010

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान समा द्वारा पारित 'उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण विधेयक, 2010' पर दिनांक 25 मार्च, 2010 को अनुमित प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010 के रूप में सर्व—साधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

(उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 19, वर्ष 2010)

बाल विवाहों के प्रतिषेध, द्विविवाह अथवा बहुपत्नीत्व रोकने, पित से भरण—पोषण एवं संतान की अभिरक्षा के अपने अधिकार को प्राप्त करने में महिलाओं की सहायता करने, विधवाओं को विरासत के दावे प्राप्त करने हेतु समर्थ बनाने तथा मयोपरितकारी पितयों द्वारा अपने पित्नयों का पिरत्याग करने से बचाने के लिए, उत्तराखण्ड राज्य में सम्पन्न होने वाले समस्त विवाहों के अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण और उनसे सम्बन्धित या अनुषंगिक विषयों के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम


भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में राज्य विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :--

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ

- (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010 है।
 - (2) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार उत्तराखण्ड राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे।
 - (3) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तराखण्ड राज्य में होगा।

परिमाषाएं

- 2. इस अधिनियम में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
 - (क) "राज्य सरकार" से उत्तराखण्ड की सरकार अभिप्रेत है:



- (ग) "जिला निबन्धक" से रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (अधिनियम संख्या 16, वर्ष 1908) की धारा 6 के अधीन नियुक्त जिला निबन्धक अभिप्रेत है और इसमें अधिनियम की धारा 10 और 11 के अधीन निबन्धक के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाला अधिकारी भी सम्मिलित है:
- (घ) ''स्थानीय निबन्धक'' से इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा नियुक्त विवाहों का स्थानीय निबन्धक अभिप्रेत है;
- (ङ) "विवाह" में किसी जाति, जनजाति या धर्म से सम्बन्धित व्यक्तियों द्वारा किसी रुढ़ि प्रथा या परम्परा के अनुरूप निष्पादित समस्त विवाह अभिप्रेत हैं तथा इसमें पुनर्विवाह भी सम्मिलित हैं;
- (च) "विवाह का सम्पादन" से सम्पन्न किसी रूप या प्रकार से प्रचलित किसी प्रथा, रूढ़ि या परम्परा के अनुसार हो अथवा विवाह रचना अभिप्रेत है;
- (छ) "ज्ञापन " से धारा 5 या 6 में निर्दिष्ट विवाह का ज्ञापन अभिप्रेत है;
- (ज) "पुजारी" से सम्बन्धित समुदाय की प्रथा के अनुसार विवाह सम्पादित कराने वाला कोई व्यक्ति अभिप्रेत है;
- (झ) 'रजिस्टर'' से इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित विवाहों का रजिस्टर अमिप्रेत है:
- (ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है।

विवाह का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण

- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी रूढ़ि या प्रथा में किसी बात के प्रतिकूल होते हुए भी इस अधिनियम के प्रारम्म के पश्चात् राज्य में सम्पन्न समस्त विवाह, विवाह सम्पन्न होने के नब्बे दिन के मीतर ऐसी रीति से, जैसी विहित की जाये, रजिस्ट्रीकृत किए जायेंगे।
- (2) प्रत्येक पति विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगाः



परन्तु यह कि जहाँ पित 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अपने विवाह पंजीकरण के लिए अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है, वहाँ पत्नी विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होगी; परन्तु यह और कि जहाँ पत्नी 18 वर्ष की आयु से न्यून है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्त है या किसी सशस्त्र सेवा में कार्यरत है और अवकाश प्राप्त करने में असमर्थ है या जिसे स्थानीय रूढ़ि और रीतियों के अनुसार बाहर निकलने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, वहाँ माता या पिता या संरक्षक विवाह रजिस्ट्रीकरण के लिए दायी होंगे।

4. (1) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा, ऐसे व्यक्तियों को, जिन्हें वह ऐसे स्थानीय क्षेत्र के लिए जैसा अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किया जाय, स्थानीय निबन्धक नियुक्त करेगी।

स्थानीय निबन्धक की नियुक्ति

- (2) जिला निबन्धक या स्थानीय निबन्धक विहित रीति से विवाह का एक रजिस्टर तथा ऐसे अन्य रजिस्टर रखेगा जैसा कि विहित किया जाय।
- 5. (1) विवाह के पक्षकार अनूसूची "क" में विनिर्दिष्ट प्ररूप में ज्ञापन तैयार और हस्ताक्षरित करेंगे और उस क्षेत्र के निबन्धक को जहाँ विवाह निष्पादित हुआ है, विवाह की तारीख के 90 दिन के भीतर उक्त ज्ञापन की दो प्रतिया देंगे या पंजीकृत डाक से भेजेंगे।

विवाह का ज्ञापन और रजिस्ट्रीकरण

- (2) ज्ञापन विहित फीस के साथ और विहित व्यक्ति द्वारा सत्यापित कर भेजा जाएगा।
- (3) ज्ञापन के प्राप्त होने पर निबन्धक उसे सात दिन के भीतर फाइल करेगा तथा रिजस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा और उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को भेजेगा तथा ऐसे प्ररूप में और ऐसी गति से जैसा विहित किया जाय, विवाह प्रमाण—पत्र जारी करेगा।
- 6. (1) निबन्धक स्वयं अथवा अन्यथा नोटिस जारी करके इस अघिनियम के अघीन विवाह का रिजस्ट्रीकरण न करने वाले पक्षकारों को अपने सम्मुख उपस्थित होने और ऐसी रीति से तथा नोटिस में विनिर्दिष्ट ऐसे समय के भीतर विवाह के ज्ञापन को हस्ताक्षरित तथा विहित फीस के साथ देने के लिए आदेश दे सकेगा।

विवाह का रिजस्ट्रीकरण न कराने वाले पक्षाकारों को नोटिस

- (2) उपघारा (1) के अधीन ज्ञापन प्राप्त होने पर निबन्धक, उसे फाइल करेगा तथा रिजस्टर में उसकी विवरणियों की प्रविष्टि करेगा तथा उसकी दूसरी प्रति जिला निबन्धक को मेजेगा और धारा 5 में उपबन्धित विवाह प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- (3) उपघारा (1) की कोई बात धारा 13 के प्राविधानों के अधीन किसी व्यक्ति के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगी।
- (4) जहाँ विवाह का कोई पक्षकार या दोनों पक्षकार अवयस्क हैं तो निबन्धक स्थानीय पुलिस को बाल विवाह अवरोध अधिनियम, 1929 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 19, वर्ष 1929) के उल्लंधन में विवाह निष्पादित करने की सूचना देगा।
- 7. इस अधिनियम के अधीन अनुरक्षित रिजस्टर कार्यदिवस के युक्तियुक्त समय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षण किये जाने के लिए खुला रहेगा और आवेदन करने पर विहित फीस के संदाय पर निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा उसका सत्यापित उद्धरण जारी किया जा सकेगा। ज्ञापन की प्रविष्टियाँ या रिजस्टर या उसका सत्यापित उद्धरण या धारा 5 अथवा धारा 6 के अधीन जारी विवाह प्रमाण-पत्र साक्ष्य के रूप में अनुमन्य होगा और उसमें उल्लिखित विवरण का प्रमाण होगा।

रजिस्टर जनसाधारण के निरीक्षण के लिए खुला रहेगा अरजिस्द्रीकृत विवाह को अविधिमान्य नहीं करेगा 8. राज्य में निष्पादित कोई विवाह इस कारण अविधिमान्य नहीं समझा जायेगा कि वह इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत नहीं था या ज्ञापन निबन्धक को पहुँचाया या भेजा नहीं गया था या ऐसा ज्ञापन त्रुटिपूर्ण, अनियमित या गलत था।

निबन्धक विहित प्ररूप में रजिस्टर रखेगा

- . (1) प्रत्येक निबन्धक विहित प्ररूप में एक उसके क्षेत्राधिकार के अधीन के क्षेत्र में विवाह रजिस्ट्रीकरण का विवाह रजिस्टर रखेगा।
 - (2) महानिबन्धक इस हेतु समय—समय पर विहित प्ररूप में पर्याप्त संख्या में रिजस्टर छपवायेगा और निबन्धकों को आपूर्ति करेगा।

रिजस्टर की 10. फीस के संदाय से सम्बन्धित नियमों सहित, राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त बनाये तलाशी गये नियमों के अध्याधीन कोई व्यक्ति--

- (क) विवाह रिजस्ट्रीकरण के रिजस्टर में की गयी किसी प्रविष्टि के लिए रिजस्टर की तलाशी ले सकेगा और:
- (ख) ऐसे रजिस्टर के उद्धरण प्राप्त कर सकेगा।

उद्धरित प्रमाण— पत्र की ग्राह्यता और साक्ष्यिक मूल्य

- 11. (1) उपघारा (1) के अधीन प्राप्त सभी उद्धरण सम्बन्धित निबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित किये जायेंगे और किसी न्यायालय में सम्बन्धित प्रविष्टि विवाह के कृत्य को स्थापित करने के लिए साक्ष्य हेतु ग्राह्य होंगे।
 - (2) इस अधिनियम के अधीन जारी विवाह प्रमाण-पत्र या निबन्धक अथवा स्थानीय निबन्धक द्वारा जारी इस अधिनियम के अधीन रखे गये रिजस्टर के उद्धरण सही माने जायेंगे, जब तक कि उसे (उन्हें) प्रतिकृत सिद्ध न कर दिया जाय।

उपेक्षा या मिथ्या कथन के लिए शास्ति

- 12. कोई व्यक्ति जो-
 - (क) धारा 5 अथवा 6 द्वारा अपेक्षित ज्ञापन हस्तगत कराने या भेजने में चूक अथवा उपेक्षा करता है;
 - (ख) ज्ञापन की तात्विक विशिष्टियों में मिथ्या कथन करता है और यह जानता है या यह विश्वास करता है कि यह मिथ्या है, उसे दोषसिद्ध होने पर जुर्माने से दिण्डित किया जाएगा जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा;
 - (ग) ऐसा व्यक्ति केन्द्र या राज्य सरकार या उनके उपक्रमों की विभिन्न योजनाओं के अधीन किसी लाम का हकदार नहीं होगा।

ज्ञापन दर्ज न करने पर दण्ड 13. धारा 5 या 6 के अनुक्रम में कोई निबन्धक जो जानबूझकर ज्ञापन को दर्ज करने में असफल रहता है, दोषसिद्धि पर कारावास से, जो तीन माह तक की अवधि के लिए हो सकेगा और जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा या दोनों से दिण्डत किया जायेगा।

तथ्यों को छुपाने पर दण्ड

- 14. कोई व्यक्ति जो विवाह के रिजस्टर या उसके किसी भाग को छुपाएगा, नष्ट करेगा या बेईमानी से या कपटपूर्वक परिवर्तन करेगा, दोष सिद्ध होने पर कारावास या जुर्माने से जो दो वर्ष की अविध के लिए हो सकेगा या दस हजार रुपये तक हो सकेगा अथवा दोनों से दिण्डत किया जाएगा।
- अपराधों का 15. (1) घारा 12 के उपखण्ड (ख) के अधीन व्यथित पति या पत्नी की शिकायत के संज्ञान सिवाय कोई न्यायालय संज्ञान नहीं लेगाः

परन्तु यह कि जहाँ ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष की आयु से कम है या जड़ है या पागल है या बीमार है या अशक्तता के कारण शिकायत करने में असमर्थ है या महिला है, जिसे स्थानीय रुढ़ि और परम्पराओं के अनुसार बाहर निकालने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, माता अथवा पिता अथवा संरक्षक न्यायालय की अनुमति से उसकी और से शिकायत दर्ज करा सकता है।

- (2) कोई न्यायालय घारा 12, 13 और 14 के उपखण्ड (क) के अधीन सम्बन्धित जिले के जिला निबन्धक की शिकायत के सिवाय संज्ञान नहीं लेगा।
- 16. (1) घारा 12 की उपघारा (ख) के अधीन अपराघ शमनीय होगा।

अपराध का शमन ् ८००० किंग्या निर्मात

- (2) जिला निबन्धक द्वारा समाधान होने पर कि विवाह का रिजस्ट्रीकरण हो चुका है, धारा 12 के खण्ड (क) के अधीन दण्डनीय अपराध का प्रशमन किया जा सकेगा।
- (3) जाँच अथवा अभियुक्त द्वारा पर्याप्त कारण दर्शाने पर जिला निबन्धक के समाधान होने पर कि अभियुक्त ने धारा 5 और 6 के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन किया था, जिला निबन्धक धारा 13 के अधीन शिकायत को वापस ले सकेगा।
- 17. किसी व्यक्ति के विरुद्ध सद्भावनापूर्वक की गयी कार्यवाही के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जायेगी।

सद्मावनापूर्वक किये गये कृत्य से संरक्षण

18. कोई विवाह जो उत्तर प्रदेश हिन्दू विवाह (रिजस्ट्रीकरण) नियमावली, 1973 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त) या विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के अधीन रिजस्ट्रीकृत है, इस अधिनियम के अधीन रिजस्ट्रीकृत समझा जायेगा।

व्यावृत्ति

19. (1) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा और विशेषकर पूर्वप्रकाशन के अध्यधीन, पूर्वोक्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ ऐसे नियमों में सभी या निम्नलिखित किसी मामले में नियम बना सकती हैं; अर्थात्:--

नियम बनाने की शक्ति

- (क) स्थानीय निबन्धक, जिला निबन्धक और महा निबन्धक की शक्तियां और कर्ताव्य;
- (ख) ज्ञापन को दर्ज किये जाने हेतु प्रारूप और रीति:
- (ग) धारा 5 और 6 के अधीन जारी किये जाने वाले विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र का प्रारूप और रीति जिसमें विवाह रजिस्टर और अमिलेख रखे जाने अपेक्षित हैं:
- (घ) रजिस्टर और अमिलेखों को अमिरक्षा में रखा जाना और ऐसे रजिस्टर तथा अमिलेखों का परिरक्षण:
- (ङ) इस अधिनियम के संगत प्राविधानों के अधीन संदत्त की जाने वाली फीस:
- (व) विवाहों के रिजस्ट्रीकरण के लिए जागरुकता पैदा करना;
- (छ) अन्य कोई मामला जिसे विहित किया जा सकेगा या विहित किया जाना अपेक्षित है।

(2) इस घारा के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाए जाने के पश्चात् यथा शीध राज्य विधान सभा के समक्ष रखे जायेंगे और राज्य विधान समा की स्वीकृति अथवा ऐसे उपान्तरणों के अध्यधीन ग्रभावी होंगे।

अन्य विधियों के लागू होने पर रोक नहीं होगी

- 20. अन्यथा उपबन्धित के सिवाय इस अधिनियम के प्राविधान इनके अतिरिक्त होंगे और किसी रूप में तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेंगे।
- कठिनाई यों को 21. (1) इस अधिनियम के उपबन्धों को लागू करने में यदि कोई कठिनाई उत्पन्न दूर करने की होती हैं, राज्य सरकार ऐसे आदेश द्वारा, ऐसे निर्देश दे सकेगी जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों और उस कठिनाई को दूर करने के प्रयोजन के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों:

परन्तु यह कि उपधारा (1) के अधीन ऐसा कोई आदेश, इस अधिनियम के प्रभावी होने की तारीख से दो वर्ष की अविध की समाप्ति के पश्चात् पारित नहीं किया जा सकेगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश राज्य की विधान सभा के समक्ष रखा जायेगा।

आज्ञा से,

राम दत्त पालीवाल, सचिव।

अनुसूची ''क''

विवाह का ज्ञापन

(धारा 5 और 6)

उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 2010

वर की स्वयं सत्यापित फोटो वघू की स्वयं सत्यापित फोटो

सेवा	में,
	निबन्धक,
	विवाहों का अनिवार्य रजिस्ट्रीकरण
	जिला
	उत्तराखण्ड।

महोदय,

हम पर लागू प्राविधानों के अनुसार (पक्षकारों पर लागू धर्म, रूढ़ि परम्परा का उल्लेख किया जाय) के अधोहस्ताक्षरी पक्षकारों के मध्य दिनाक को विवाह सम्पन्न हो गया है और हम अनुरोध करते हैं कि हमारे विवाह की निम्नलिखित विवरणियाँ, उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य रिजस्ट्रीकरण रिजस्टर में रिजस्ट्रीकृत कर दी जायं :—

विवाह का विवरणियाँ

1. विवाह की तारीख	
2. विवाह का स्थल (स्थान के पर्याप्त विवरण के साथ ताकि स्थान का पता लगाया ज	Π
सके)	_
3. वर की विवरणियाँ :	
(क) पूरा नाम और व्यवसाय	_
(ख) मूल निवास स्थान (केवल विवरण भरा जाय)	_
(ग) आयु	_

111, 2010	20 (4 × 00, 1952 (14) H-4(1)
(घ) निवास का सामान्य स्थान	
(ङ) स्थायी पता	
(च) आवेदन देते समय पता	
(छ) विवाह के समय प्रास्थिति	
	अविवाहित
	विधुर
	तलाकशुदा
	.
तारीख ———	ं वर के हस्ताक्षर
4. वधू का विवरण :	
(क) पूरा नाग	
(ख) मूल निवास (केवल विवरण भरा जाय)	
(ग) आयु	
(घ) आवास का सामान्य स्थान	
(ङ) स्थायी पता	
(च) आवेदन देते समय पता	
(छ) विवाह के समय प्रास्थिति	
• •	
	अविवाहित
	विधवा
	तलाकशुदा
	3
तारीख ———	वधू के हस्ताक्षर
5. वर के पिता का पूर्ण विवरण :	
(क) पूरा नाम	
(ख) आयु	
(ग) व्यवसाय	14444
(घ) आवास का सामान्य स्थान	
(ङ) आवेदन देते समय पता	-
(च) क्या जीवित है या मृत	
तारीख ——	वर के पिता के हस्ताक्षर

नोट-वर के पिता के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं।

	उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 26 मार्च, 2010 ई0 (वैत्र 05, 19	32 शक सम्वत्) 9
6. वधू	के पिता या अन्य संरक्षक का विवरण :	
(क)	पूरा नाम	
(ख)	आयु	
(ग)	व्यवसाय	
(ঘ)	आवास का सामान्य स्थान	
(ङ)	आवेदन देते समय पता	
(च)	वधू के साथ संरक्षक का सम्बन्ध	
तारीख -	 वधू के पि	ता या संरक्षक के हस्ताक्षर
टिप्पणी	i—जहाँ आवेदन देने की तारीख को वधू की आयु 18 वर्ष से 3 संरक्षक के हस्ताक्षर बाध्यकारी नहीं हैं परन्तु जहाँ वह आवेद	
	से कम है और विवाह की तारीख को ऐसा विवाह तत्समय प्र	
	हो रहा हो, तो उसके पिता अथवा संरक्षक के हस्ताक्षर आव	-
•	ारी का विवरण :	
) पूरा नाम	
(ख)) आयु	
(ग)	निवास का सामान्य स्थान	
(ਬ)	पता	
	यदि विवाह का समय आवेदन देने की तारीख से एक वर्ष हो अंकित किया जाना बाध्यकारी नहीं है। उसके हस्ताक्षर भी बाध्य	- ·
तारीख		पुजारी के हस्ताक्षर

घोषणा

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि जहाँ तक उनका मुझसे और विवाह के निष्पादन से सम्बन्ध है, आवेदन में दिये गये विवरण मेरी अधिकतम जानकारी के अनुसार सही हैं और शेष प्राप्त सूचनाओं पर आधारित हैं और विश्वास के अनुसार सही हैं।

8.	वर के हस्ताक्षर तारीख	वधू के हस्ताक्षर तारीख
9. •	1—गवाह : (क) पूर्ण नाम ———————————————————————————————————	
	(क) पूर्व नान	हस्ताक्षर ————
		हस्ताक्षर ———— तारीख
	हस्ताक्षर तारीख पद	 द्वारा प्रमाणित

(संसद सदस्य, राज्य विधान मण्डल का सदस्य/राजपत्रित अधिकारी/प्रधान/ सरपंच/प्रमुख/स्थानीय निकाय का अध्यक्ष/समासद/उप समासद द्वारा वर और वधू की पहचान और अन्य विवरणियां इस आवेदन के साथ संलग्न हैं)

टिप्पणी—जहाँ कोई व्यक्ति दोनों पक्षकारों की पहचान अथवा अन्य समस्त विवरणियाँ प्रमाणित नहीं करता है, वहाँ ऐसे एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा प्रमाणित किया जा सकेगा। In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of 'The Uttarakhand Compulsory Registration of Marrige Bill, 2010' (Adhiniyam Sankhya 19 of 2010):--

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on 25 March, 2010.

No. 144/XXXVI(3)/2010/08(1)/2010 Dated Dehradun, March 26, 2010

NOTIFICATION

Miscellaneous

THE UTTARAKHAND COMPULSORY REGISTRATION OF MARRIAGE ACT, 2010

(UTTARAKHAND ACT No. 19 of 2010)

To provide for the compulsory registration of all marriages solemnized in the State of Uttarakhand so as to prevent child marriages, check bigamy or polygamy, help women to exercise their rights of maintenance from husband and custody of children, enable widows to claim inheritance and to serve as deterrent to husband deserting their wives and for matters connected therewith or incidental thereto

AN

Act

Be it enacted by by State Legislature in the Sixty-first Year of the Republic of India as follows:--

1. (1) This Act may be called The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010.

Short title extent and Commence-

- (2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification in the Uttarakhand Gazette, appoint.
- (3) It extends to the whole of the State of Uttarakhand.
- . In this Act, unless the context otherwise requires--

Definitions

- (a) "State Government" means the Government of Uttarakhand;
- (b) "Registrar General" means the Inspector-General of Registration appointed under section 3 of the The Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908);
- (c) "District Registrar" means the Registrar of the District appointed under Scction 6 of the Registration Act, 1908 (Act No. 16 of 1908) and includes the Officer performing the duties of a Registrar under Sections 10 and 11 of that Act;
- (d) "Local Registrar" means a Local Registrar of marriages appointed by the State Government under this Act;
- (e) "Marriage" includes all the marriages contracted by persons belonging to any caste, tribe or religion, and the marriages contracted as per any custom, practices or traditions, and also includes re-marriages;
- (f) "To contract a marriage" means to solemnize or enter into a marriage in any form or manner, in accordance with any customs, practices or traditions in force;
- (9) "Memorandum" means a memorandum of marriage referred to in section 5 or 6;

- (h) "Priest" means any person who get the marriage performed in accordance with the custom of the community concerned;
- (i) "Register" means a register of marriages maintained under this Act;
- (j) "Prescribed" means prescribed by rules made under this Act.

Compulsory registration of marriage

- Notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force or in any custom or usage to the contrary, all the marriages solemnized in the State after the commencement of this Act shall be registered within ninety days of solemnization of marriage in such manner as may be prescribed.
 - (2) Each husband shall be responsible to get the marriage registered:

Provided that--Where such husband is under the age of 18 years or is an idiot, or a lunatic or is from sickness or infirm or is serving in any of the Armed Forces and is unable to obtain leave to register his marriage, wife shall be responsible to get the marriage registered:

Provided Further that-- Where the wife who is under the age of 18 years or is an idiot, or a lunatic or is sick or infirm or is serving in any of the Armed Forces and is unable to obtain leave or according to local custom and manners ought not to be compelled to appear in public, the father or the mother or the guardian shall be responsible to get the marriage registered.

Appointment of Local Registrar

- 4. (1) The State Government shall, by notification, appoint such persons as it considers necessary to be the Local Registrar for such local area, as may be specified in such notification.
 - (2) The District Registrar or Local Registrar shall maintain in the prescribed manner a register of marriage and such other registers as may be prescribed.

Memorandum and Registration of Marriage

- The parties to a marriage shall, prepare and sign memorardum in the form specified in Schedule "A" and deliver or send by registerd post the said memorandum in duplicate to the Registrar of the area in which the marriage was contracted, within a period of ninety days from the date of marriage.
 - (2) The memorandum shall be accompanied by the prescribed fee and shall be attested by a prescribed person.
 - (3) On receipt of the memorandum, the Registrar shall file the same, enter the particulars thereof in the register within seven days and send the duplicate copy thereof to the District Registrar and issue a marriage certificate in such form and manner as may be prescribed.

Notice to Parties for Non Registration of Marriage

- 6. (1) The Registrar may suo-moto or otherwise issue notice to the parties to a marriage which has not been registered under this Act, to appear before him and get the memorandum of marriage signed and delivered with the prescribed fee in such manner and within such time as may be specified in the notice.
 - (2) On receipt of a memorandum under sub-section (1) the Registrar shall file the same, enter the particulars thereof in the register, send the duplicate copy thereof to the District Registrar and issue the marriage certificate as provided in section 5.

- (3) Nothing contained in sub-section (1) shall affect the liability of any person under the provisions of section 13.
- (4) Where any party to the marriage or parties to the marriage are minor the Registrar shall inform, to the local Police that the marriage is solemnized in contravention of Child Marriage Restraint Act, 1929.
- 7. The register maintained under this Act, shall, at all reasonable times, be open to inspection, on working hours by any person, and certified extracts therefrom, shall be on application, be issued by the Registrar or Local Registrar on the payment of prescribed fee. The entries in the memorandum or the register or the certified extract thereof or the marriage certificate issued under section 5 or section 6 shall be admissible in evidence and be proof of the statement contained therein.

Register to be open for public inspection

 No marriage contracted in the State shall be deemed to be invalid solely byreason of the fact that it was not registered under this Act or that the memorandum was not delivered or sent to the Registrar or that such memorandum was defective, irregular or incorrect.

Non-registration not to in invalidate the marriage

 Every Registrar shall keep in the prescribed form a Register of Marriage-Registration made in the area under his jurisdication.

Registrar to keep registers in prescribed form

- (2) The Registrar-General shall from time to time cause to be printed and supplied to the Registrars sufficient number of Registers in the prescribed form.
- Search of reg-
- 10. Subject to any rules made in this behalf by the State Government, including the rules relaing to payment of fees, any person may--
 - (a) Cause a search to be made for any entry in the Register of Marriage-Registration, and
 - (b) Obtain an extract from such register.
- 11. (1) All extract (s) obtained under sub-section (1) shall be signed by the Registrar concerned, and shall be admissible in evidence in any court of law for the purpose of establishing the factum of marriage to which the entry, relates.

Admissibility of certificate abstract and evidentiary value

- (2) Certificate of marriage issued under the Act, or any abstract (s) of the register kept under this Act issued by the Registrar or Local Registrar shall be presumed correct unless the contrary is proved.
- 12. Any person who--
 - (a) omits or neglects to deliver or send the memorandum as required by section
 5 or 6;

Penalty for neglect or false statement

- (b) makes any statement in the memorandum which is false in any material particular, and which he knows or has reason to believe to be false, shall, on conviction, be punished with fine which may extend to one thousand rupees;
- (c) Shall, also not be entitled to any benefits under the various schemes of the Central or the State Government or their undertakings.
- 13. The Registrar who willfully fails to file the memorandum pursuant to section 5 or 6, shall on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three months or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Punishment for non-memoran-dum

Punishment for concealment of fact

14. Any person secreting, destroying or dishonestly or fraudulently altering the register of marrige or any part thereof, shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to two years or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

Cognizence of offences

15. (1) No court shall take cognizence except, the complaint under sub-clause (b) of section 12 made by the aggrieved husband or the wife:

Provided that--Where such person is under the age of 18 years, or is an idiot or a lunatic, or is sick or infirm, unable to make a complaint, or is a woman who, according to the lacal customs and manners, ought not to be compelled to appear in public, mother or father or guardian with the leave of the court, make a complaint on his or her behalf.

(2) No court shall take cognizance except, the complaint made by District Registrar of the concern of District under sub-clause (a) of section 12, 13 and 14.

Compounding of offence

- 16. (1) Offence under sub-section (b) fo section 12 shall be compoundable.
 - (2) Offence punishable under clause (a) of section 12 may be compounded by the District Registrar on his being satisfied, that the marriage has been registered.
 - (3) On inquiry or showing sufficient cause by the accused, District Registrar may withdraw the complaint under section 13, on being satisfied that the accused has discharged his duties according to Section 5 and 6.

Protection for action taken in good faith

17. No suit or prosecution or other legal proceeding shall be instituted against any person for anything, done in good faith.

Savings

Any marriage registered under, the Uttar Pradesh Hindu Marriage (Registration)
 Rules, 1973 (as applicable to the State of Uttarakhand) or under the Special
 Marriage Act, 1954 shall be deemed registered under this Act.

Power to make rules

- 19. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette and subject to the previous publication, in particular and without prejudice to the generality of the foregoing powers, for carrying out the purpose of this Act, provide for all or any of the following matters, namely:--
 - (a) The powers and duties of the Local Registrar, District Registrar and Registrar General.
 - (b) The form and manner, in which the memorandum shall be filed.
 - (c) The form and manner, in which register of marriage and records required to be maintained and the form of certificate of registration of marriage to be issued under section 5 and 6.
 - (d) The custody, in which the register and records are to be kept and the preservation of such registers and records.
 - (e) The Fee to be paid under the relevant provisions of this Act.
 - (f) Creating awareness for registration of marriages.
 - (g) Any other matter which may be or require to be prescribed.
 - (2) All rules made under this section shall be laid before the State Legislative Assembly as soon as possible after they are made and shall be effective subject to approval or modifications by the State Legislative Assembly.

20. Save as otherwise provided, the provisions of this Act shall be in additions to and not in derogation of any other law for the time being in force.

Application of other laws not barred

21. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, Governor may, by order, give such directions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to be necessary or expedient for the purposes of removing the difficulty:

Power to remove difficulty

Provided that no order under sub-section (1), shall be made after the expiry of two years from the date on which this Act comes into force.

(2) Every order made under this section shall be put before the State Legislative Assembly.

By Order,

RAM DATT PALIWAL,

Secretary.

SCHEDULE "A"

MEMORANDUM OF MARRIAGE

(Section 5 and 6)

of

The Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Act, 2010

Self Attested

Self Attested

Signature of the Bridegroom

Photo of Photo of bride bridegroom To. The Registrar, Compulsory Registration of Marriage, Uttarakhand. Sir. A marriage in accordance with the provisions applicable to us (As per Religion,Custom or Practice applicable to the parties be mentioned) has been solemnized between us, the undersigned parties, on......and we request that the following particulars of our marriage be registered in the Uttarakhand Compulsory Registration of Marriage Register:--Particulars of Marriage 1. Date of marriage 2. Place of marriage (with sufficient particulars to locate the place) 3. Particulars of the bridegroom: (a) Full name and occupation Domicile (Only the particulars to be filled up) Age (c) (d) Usual place of residence (e) Permanent address Address at the time of application Status at the time of marriage Whether Unmarried Widower Divorced Dated.....

	4.	Parti	culars of the bride:	
		(a)	Full name	
		(b)	Domicile (Only the particulars to be	filled up)
		(c)	Age	
		(d)	Usual place of residence	
		(e)	Permanent address	
		(f)	Address at the time of application	
		(g)	Status at the time of marriage	
		,	Whether	Unmarried
				Widow
				Divorcee
Dated.				Signature of the Bride
	5.	Full	particulars of bridegroom's father:	
		(a)	Full name	
		(b)	Age	
		(c)	· ·	
		(d)		
		(e)	·	
		(f)	• •	
Dated.				Signature of the father of the bridegroom
			nature of the bridegroom's father is no	ot obligatory)
6. Particulars of the bride's father or other g		ticulars of the bride's father or other g	uardian :	
		(a)	Full name	
		(b)	Age	
		(c)	Occupation	,
		(d)	Usual place of residence	
		(e)	·	1
		(f)		e
Dated				Signature of the father or guardian of the Bride

(**N.B.** Signature of the bride's father or guardian is not obligatory where the bride's age is not less tham 18, on the date of application but signature of her father or guardian is necessary where on the date of application she is below 18 and the marriage was performed in accordance with the law in force on the date of marriage.)

18	उत्तराखण्ड असाधारण गजट, 26 मार्चे, 2010 ई	0 (चैत्र 05, 1932 शक सम्वत्)	
7.	Particulars of the priest :		
	(a) Full name		
	(b) Age		
	(c) Usual place of residence		
	(d) Address		
	B. It shall not be obligatory to enter particulars of before the date of the application. His signature		
Dated	···············	Signature of the Priest	
	DECLARATION	J	
and to the s	olemnly declare that the particulars given in this solemnization of marriage are true to the best of received and believed to be true.		
8.	Signature of Bridegroom	Signature of Bride	
	Dated	Dated	
9.	1Witness:		
	(a) Full name		
	(b) Address		
		Signature	
		Dated	
	2Witness:		
	(a) Full name		
	(b) Address		
		Signature	
		Dated	
	Signature		
	Dated		
	Certificate by	(Designation)	
	(The identification of the bridegroom and the bri by the Member of Parliament/Member of the St Sarpanch/Pramukh/President of a local body/ with the application.)	ate Legislature/Gazetted Officer/Pradhan	

Note— Certificate may be by more than one such person where one cannot certify the identity of both the parties or all other particulars.

पी०एस0यू० (आर०ई०) २६ विघायी / 197-2010-100+500 (कम्प्यूटर/रीजियो)।